

भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2777
जिसका उत्तर बुधवार, 10 जुलाई, 2019 को दिया जाना है

चुनाव में ई.वी.एम. का उपयोग

2777. श्री पी.के. कुनहालिकुट्टी :

क्या विधि और न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान ई.वी.एम. की बजाय हाथ से मतपत्र के माध्यम से चुनाव कराने के लिए प्राप्त अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है ;
- (ख) इस मामले में क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है ; और
- (ग) उन देशों के नाम क्या हैं जहां ई.वी.एम. का उपयोग किया जाता है और जहां हाथ से मतपत्र के माध्यम से चुनाव कराए जाते हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय संचार तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री
प्रसाद)

(श्री रविशंकर

(क) से (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।
